न्यूज़ टुडे

सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) ने कैपेक्स/ CAPEX (पूंजीगत व्यय) सर्वेक्षण जारी किया

'निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय निवेश लक्ष्यों पर फॉरवर्ड-लुकिंग सर्वेक्षण (कैपेक्स सर्वेक्षण)' सांख्यिकी संग्रह अधिनियम, 2008 के तहत आयोजित किया गया था। यह राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (NSO) द्वारा आयोजित अपनी तरह का पहला सर्वेक्षण था।

- ध्यातव्य है कि NSO, सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय (MoSPI) की एक सांख्यिकीय शाखा है।

सर्वेक्षण के मुख्य निष्कर्ष

- वित्त वर्ष 2022 से 2025 तक निजी क्षेत्रक का पूंजीगत व्यय (CAPEX) 66% बढ़कर लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच गया है।
- वित्त वर्ष 24-25 में निजी क्षेत्रक के कुल पूंजीगत व्यय में विनिर्माण उद्यमों का योगदान 48% था।
- 2024-25 में, अधिकांश उद्यमों ने पूंजीगत व्यय को मुख्य परिसंपत्तियों पर केंद्रित किया था, जबकि अन्य ने मूल्यवर्धन, अवसरवादी परिसंपत्तियों और विविध रणनीतियों में निवेश किया था।

पहलू	पूंजीगत व्यय	राजस्व व्यय
प्रकृति	भविष्य के लिए परिसंपत्तियों का निर्माण करता है	परिसंपत्तियों का निर्माण नहीं करता या देनदारियों को कम नहीं करता
प्रभाव	दीर्घकालिक लाभ या प्रतिफल प्राप्त होता है	दिन-प्रतिदिन का परिचालन व्यय।
अवधि	एकमुश्त या कभी-कभार व्यय करना	चालू, आवर्ती व्यय

पूंजीगत व्यय (CAPEX) का महत्त्व

- पूंजीगत व्यय में परिसंपत्तियों पर खर्च करना शामिल है: इससे व्यवसाय को दीर्घकालिक लाभ होता है। उदाहरण के लिए- संपत्ति, उपकरण, नई तकनीक हासिल करना आदि।
- रणनीतिक निर्णय लेना: पूंजीगत व्यय संबंधी निर्णय रणनीतिक प्राथमिकताओं को दर्शाते हैं। ये प्राथमिकताएं भविष्य की संवृद्धि को गति देने के लिए संसाधनों के आवंटन को निर्धारित करती हैं।
- प्रतिस्पर्धात्मक लाभ: पूंजीगत व्यय में निवेश करके, कंपनियां अपनी परिचालन दक्षता बढ़ा सकती हैं, उत्पादों या सेवाओं में नवीनता ला सकती हैं तथा प्रतिस्पर्धियों से आगे रह सकती हैं।
- परिसंपत्ति रखरखाव और उन्नयन: मौजूदा परिसंपत्तियों को बनाए रखने, प्रौद्योगिकी को उन्नत करने, या उत्पादन क्षमता का विस्तार करने के लिए पूंजीगत व्यय की आवश्यकता होती है।
- निवेशकों का विश्वास: पूंजीगत व्यय निवेशकों को यह संकेत देता है कि कंपनी दीर्घकालिक विकास और मूल्य सृजन के लिए प्रतिबद्ध है।

निजी क्षेत्रक के पूंजीगत व्यय में आने वाली प्रमुख चुनौतियां

- बड़ी इक्विटी और किफायती कर्ज जुटाने में कठिनाई आती है;
- जोखिम आकलन और शमन से संबंधित परियोजना संरचना संबंधी मुद्दे;
- मंजूरी और भूमि अधिग्रहण में देरी आदि।

पूंजीगत व्यय के बारे में

- परिभाषा: पूंजीगत व्यय वह धन है जो सरकार मशीनरी, भवन, स्वास्थ्य सुविधाओं, शिक्षा आदि के विकास पर खर्च करती है।
- पूंजीगत व्यय में निम्नलिखित पर खर्च किया गया धन शामिल है: अचल और अमूर्त परिसंपत्तियों का अधिग्रहण; मौजूदा परिसंपत्तियों का उन्नयन; मौजूदा परिसंपत्तियों की मरम्मत और ऋण का भुगतान।

गाजियाबाद नगर निगम ने भारत के पहले प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड की शुरुआत की

इसे स्वच्छ भारत मिशन-शहरी के तहत जारी किया गया था। इससे अत्याधुनिक टर्शियरी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट (TSTP) के विकास के लिए ₹150 करोड़ जुटाए गए।

- TSTP यह सुनिश्चित करेगा कि उपचारित जल उच्चतम मानकों को पूरा करे। इससे यह औद्योगिक प्रक्रियाओं में पुनः उपयोग के लिए उपयुक्त हो जाएगा।
- TSTP को सार्वजनिक-निजी भागीदारी हाइब्रिड एन्युटी मॉडल (PPP-HAM) के तहत 40% नगरपालिका वित्त-पोषण के साथ विकसित किया गया था।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड (GMB) के बारे में

- ये ऐसी गैर-परिवर्तनीय ऋण प्रतिभूतियां (Non-convertible debt securities) हैं, जिन्हें किसी नगरपालिका निकाय या ऐसी किसी अन्य संस्था द्वारा जारी किए जाते हैं, जिसे भारतीय संविधान के अनुच्छेद 243W के तहत कार्य सौंपे गए हैं।
  - ग्रीन बॉण्ड का उपयोग विशेष रूप से जलवायु शमन, अनुकूलन और अन्य पर्यावरण अनुकूलन एवं कम कार्बन उत्सर्जक परियोजनाओं (विश्व बैंक) के लिए धन जुटाने हेतु किया जाता है।

GMB का महत्त्व

- सतत विकास: निवेशक अपनी निवेश प्रक्रियाओं में पर्यावरणीय, सामाजिक एवं गवर्नेंस कारकों को एकीकृत करने पर अधिक ध्यान केंद्रित कर रहे हैं।
- कम लागत व दीर्घकालिक पूंजी: वे अन्य बॉण्ड्स के साथ लागत-प्रतिस्पर्धी होते हैं तथा वाणिज्यिक बैंकों के ऋण की तुलना में कम लागत पर पूंजी प्रदान कर सकते हैं।
- निवेशक आधार को व्यापक बनाना: घरेलू बैंक ऋण जैसे मौजूदा पारंपरिक वित्त-पोषण स्रोत क्षमता वृद्धि का समर्थन करने के लिए पर्याप्त नहीं हैं।

ग्रीन म्युनिसिपल बॉण्ड के माध्यम से पूंजी एकत्रित करने में चुनौतियां

- **खराब राजकोषीय स्थिति:** किसी नगरपालिका की राजकोषीय यानी वित्तीय स्थिति से उसके ऋण चुकाने की क्षमता निर्धारित होती है।
- **आंतरिक क्षमता का अभाव:** आंतरिक क्षमता का तात्पर्य शहरी स्थानीय निकाय की आंतरिक विशेषज्ञता, प्रासंगिक विशेषज्ञों की कमी एवं कार्यबल में विशेषज्ञता या कौशल क्षमता से है।
- **अन्य:** अन्य चिंताएं: नगरपालिका बॉण्ड की मांग कम होना/ इसमें निवेश करने की इच्छा रखने वाले निवेशकों की कमी; राजकोषीय अनुशासन नहीं होना, कार्यप्रणाली में पारदर्शिता की कमी; ऐसे बॉण्ड के बारे में अधिक जानकारी (लाभ या जोखिम के बारे में) नहीं होना आदि।

संयुक्त राज्य अमेरिका ने कथित बौद्धिक संपदा अधिकारों के उल्लंघन के लिए भारत को 'प्राथमिकता निगरानी सूची' में रखा

संयुक्त राज्य व्यापार प्रतिनिधि (USTR) की स्पेशल 301 रिपोर्ट में 8 देशों को प्राथमिकता निगरानी सूची (Priority Watch List) में रखा गया है। यह कदम **बौद्धिक संपदा (IP) संरक्षण और प्रवर्तन के बारे में चिंताओं** को दर्शाता है।

- **विश्व बौद्धिक संपदा संगठन (WIPO)** के अनुसार बौद्धिक संपदा संपत्ति की एक श्रेणी है, जिसमें मानव बुद्धि की अमूर्त रचनाएं शामिल हैं। जैसे कि आविष्कार, औद्योगिक उत्पादों के लिए डिजाइन, साहित्यिक व कलात्मक कार्य, प्रतीक जिनका अंततः वाणिज्यिक रूप में उपयोग किया जाता है, वाणिज्यिक नाम और चित्र आदि।

भारत में बौद्धिक संपदा इकोसिस्टम से जुड़ी समस्याएं

- **पेटेंट पात्रता संबंधी मानदंड:** भारतीय पेटेंट अधिनियम में निर्धारित मानदंडों को कई बार विवेकाधीन और प्रक्रियात्मक तरीके से लागू किया जाता है।
  - उदाहरण के लिए- **पेटेंट अधिनियम, 1970 की धारा 3(D)** के अनुसार, किसी ज्ञात पदार्थ के नए रूप की खोज, यदि वह उस पदार्थ की ज्ञात प्रभावशीलता को नहीं बढ़ाती, तो उसे पेटेंट योग्य नहीं माना जाता है।
- **अप्रभावी बौद्धिक संपदा प्रवर्तन:** कमजोर कानून प्रवर्तन; राष्ट्रीय और राज्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों में प्रभावी समन्वय का अभाव; बौद्धिक संपदा उल्लंघनों के लिए कठोर दंड का अभाव; पाइरेसी एवं जालसाजी आदि।
  - उदाहरण के लिए- भारत 2024 की **नोटोरियस मार्केट लिस्ट** में शामिल है।
- **ट्रेडमार्क से संबंधित मुद्दे:** जालसाजी का उच्च स्तर; खराब जांच गुणवत्ता आदि।
  - उदाहरण के लिए- भारत **"सिंगापुर ट्रीटी ऑन लॉ ऑफ ट्रेडमार्क्स"** का पक्षकार नहीं है।
- **विदेशी संस्थाओं पर नई बाधाएं:** जैव विविधता नियम, 2024 के तहत विदेशी संस्थाओं को भारतीय जैविक संसाधनों पर बौद्धिक संपदा संरक्षण के लिए अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य है।
- **अन्य समस्याएं:**
  - बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) स्वीकृति में देरी और लंबित मामलों की अधिकता;
  - IPR के बारे में जागरूकता और शिक्षा की कमी;
  - डिजिटलीकरण के कारण ऑनलाइन पाइरेसी में वृद्धि आदि।

भारत में IP इकोसिस्टम को मजबूत करने के लिए की गई पहलें

- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा अधिकार (IPR) नीति, 2016:** यह नीति WTO के बौद्धिक संपदा के व्यापार-संबंधित पहलुओं (TRIPS/ ट्रिप्स) समझौते के अनुरूप है।
- **राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा जागरूकता मिशन (NIPAM),** स्टार्ट-अप्स बौद्धिक संपदा संरक्षण योजना (SIPP), IP सारथी चैटबॉट आदि।
- **पेटेंट (संशोधन) नियम, 2024:** इसका उद्देश्य पेटेंट पंजीकरण और अनुमोदन की प्रक्रिया को आसान बनाना है।
- **बौद्धिक संपदा प्रभाग:** कलकत्ता और हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट्स ने दिल्ली एवं मद्रास हाई कोर्ट्स के साथ मिलकर 2024 में IP प्रभागों की स्थापना की थी।
- **WIPO संधियां:** भारत ने WIPO परफॉरमेंस एंड फोनोग्राम ट्रीटी तथा कॉपीराइट ट्रीटी के साथ अपनी नीतियों को समन्वित करने की प्रतिबद्धता दिखाई है।

केंद्र सरकार ने ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) की शुरुआत की

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के तहत केंद्र सरकार ने **ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI)** शुरू की है।

- इसका उद्देश्य **ग्रीन हाइड्रोजन (GH) के उत्पादन के लिए बेहतर प्रमाणन प्रणाली** तैयार करना है, जिससे **पारदर्शिता, ट्रेसेब्लिटी और बाजार में विश्वसनीयता** सुनिश्चित की जा सके।

ग्रीन हाइड्रोजन प्रमाणन योजना (GHCI) के बारे में

- **कार्यान्वयन मंत्रालय:** केंद्रीय नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय (MNRE)।
- **उद्देश्य:** ग्रीन हाइड्रोजन एवं इसके डेरिवेटिव्स के **मापन, निगरानी, रिपोर्टिंग, उत्पादन स्थान पर सत्यापन और प्रमाणन की विस्तृत कार्य-प्रणाली** विकसित करना।
- **नोडल अथॉरिटी:** ऊर्जा दक्षता ब्यूरो (BEE)।
- **प्रमाणन विवरण:**
  - **प्रमाणन का दायरा:** यह प्रमाणन **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन परियोजना के स्तर** पर लागू होगा। इसमें परिवहन हेतु **हाइड्रोजन के कंप्रेशन व शुद्धिकरण तक की सभी प्रक्रियाएं** शामिल होंगी।
    - **प्रमाणन के दायरे में अग्रलिखित शामिल नहीं हैं:** हाइड्रोजन उत्पादन संयंत्र की सीमाओं के बाहर हाइड्रोजन का परिवहन व भंडारण, **हाइड्रोजन वाहक (hydrogen carrier)** में रूपांतरण, वापस पूर्व स्थिति में रूपांतरण और उपयोग।
      - हाइड्रोजन को उसके भंडारण और परिवहन को सरल बनाने के लिए विविध रूपों में बदला जा सकता है। इस प्रक्रिया में एक **हाइड्रोजन वाहक** तैयार किया जाता है।
  - **ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्रों (फैसिलिटी) के लिए दो प्रकार के प्रमाण-पत्र जारी किए जा सकते हैं:**
    - कॉन्सेप्ट प्रमाण-पत्र जो स्वैच्छिक हैं, और
    - फैसिलिटी लेवल प्रमाण-पत्र जो अनिवार्य हैं।
  - **ग्रीन हाउस गैस (GHG) उत्सर्जन तीव्रता को मापना:** यह कार्य नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय की ग्रीन हाइड्रोजन उत्सर्जन मापन कार्यप्रणाली के अनुसार किया जाएगा।
  - **'ग्रीन' प्रमाणन की शर्तें:** 'ग्रीन' हाइड्रोजन प्रमाण-पत्र तभी प्रदान किया जाएगा, जब प्रत्येक **एक किलोग्राम ग्रीन हाइड्रोजन के उत्पादन पर ग्रीन हाउस उत्सर्जन 2 किलोग्राम CO_2 उत्सर्जन के समतुल्य से अधिक नहीं** होनी चाहिए।
  - **ग्रीन प्रमाण-पत्र किसी और को हस्तांतरित नहीं किया जा सकेगा और न ही इसकी खरीद-बिक्री की जा सकेगी।** साथ ही, इस प्रमाण-पत्र के बदले उत्सर्जन में कमी के लिए **किसी अन्य प्रकार के क्रेडिट का दावा नहीं** किया जा सकता।

नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन (NGHM) के बारे में

- **प्रारंभ:** इसे 2023 में शुरू किया गया था। इसका उद्देश्य **भारत को ग्रीन हाइड्रोजन और इसके डेरिवेटिव्स के उत्पादन, उपयोग और निर्यात का वैश्विक केंद्र** बनाना है।
- **लक्ष्य: 2030 तक प्रति वर्ष 5 मिलियन मीट्रिक टन ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करना।**
- **मिशन के प्रमुख घटक निम्नलिखित हैं:**
  - स्ट्रेटेजिक इंटरवेंशंस फॉर ग्रीन हाइड्रोजन (SIGHT) कार्यक्रम;
  - ग्रीन हाइड्रोजन हब्स।
- **मुख्य रणनीतियां:**
  - ग्रीन हाइड्रोजन के **निर्यात और देश में खपत** को बढ़ावा देकर मांग में वृद्धि की जाएगी;
  - ग्रीन हाइड्रोजन की **आपूर्ति से संबंधित बाधाओं को दूर** किया जाएगा।
  - ग्रीन हाइड्रोजन के **उत्पादन को प्रमाणित करने की बेहतर व्यवस्था** स्थापित की जाएगी।

प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार ने अनुसंधान और विकास (R&D) संगठनों पर रिपोर्ट जारी की

इस रिपोर्ट का शीर्षक है- **"सार्वजनिक वित्त पोषित अनुसंधान एवं विकास संगठनों के नवाचार संबंधी उत्कृष्टता संकेतकों का मूल्यांकन"**। इसका उद्देश्य भारत के **सार्वजनिक रूप से वित्त-पोषित अनुसंधान इकोसिस्टम में नवाचार प्रदर्शन को मापना और सुधारना** है।

रिपोर्ट के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **R&D पर भारत का सकल व्यय (GERD):** यह 2010-11 के 60,200 करोड़ रुपये से दोगुना होकर 2020-21 में 1,27,400 करोड़ रुपये हो गया था।
  - **प्रमुख योगदान:** केंद्र सरकार (43.7%), उसके बाद निजी क्षेत्रक, उच्चतर शिक्षा और राज्य सरकारों का स्थान है।
- **सामाजिक-आर्थिक प्रभाव:** सार्वजनिक R&D प्रयोगशालाएं व संस्थान समाधान विकसित करने के लिए डिजिटल तकनीकों (जैसे- IoT सेंसर, ड्रोन और बिग डेटा एनालिटिक्स) का उपयोग कर रहे हैं।
  - उदाहरण के लिए- ऐसे नए **जीनोटाइप्स** (अंतर्निहित आनुवंशिक ब्लूप्रिंट) विकसित किए गए हैं, जो किसानों की आय बढ़ाने में मदद कर सकते हैं।
- **स्टार्ट-अप इकोसिस्टम के साथ जुड़ाव:** स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन समर्थन देने वाली प्रयोगशालाओं की संख्या कम है।
  - उदाहरण के लिए- **चार में से केवल एक सार्वजनिक वित्त-पोषित R&D संगठन स्टार्ट-अप्स को इनक्यूबेशन समर्थन** प्रदान करता है और **छह में से केवल एक 'डीप टेक' स्टार्ट-अप्स** को समर्थन प्रदान करता है।
- **सीमित सहयोग और सुविधाओं तक पहुंच:** उदाहरण के लिए- केवल **15% संस्थानों** ने विदेशी उद्योगों के साथ सहयोग किया और इनमें से केवल आधे ही अपनी सुविधाएं बाहरी शोधकर्ताओं के लिए खोलते हैं

भारत के R&D इकोसिस्टम के बारे में

- भारत ने **2020-21 में अपनी GDP का 0.64% R&D** पर खर्च किया था। हालांकि, अधिकांश **विकसित देशों ने अपनी GDP का 2% से अधिक R&D** पर व्यय किया था।
- **WIPO रिपोर्ट 2022:** भारत दुनिया में **रेजिडेंट पेटेंट फाइलिंग गतिविधि के मामले में 7वें स्थान** पर है।
- **सरकार द्वारा शुरू की गई पहलें:**
  - **इंपैक्टिंग रिसर्च, इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी (IMPRINT):** यह पहल सबसे प्रासंगिक इंजीनियरिंग चुनौतियों का समाधान प्रदान करती है।
  - **अनुसंधान पार्क:** यह उद्यमिता और उद्योगों के बीच उनकी R&D इकाइयां स्थापित करने के लिए एक इंटरफेस प्रदान करता है।

सिफारिशें

- प्रयोगशालाओं को महत्वपूर्ण प्रौद्योगिकियों पर ध्यान देते हुए अपने प्रमुख कार्यों को **विकसित भारत के लक्ष्यों** के अनुरूप बनाने की जरूरत है।
- नवाचार को बढ़ाने के लिए **उद्योगों के साथ सहयोग को प्रोत्साहित करने पर बल** देना चाहिए।
- बाहरी शोधकर्ताओं और छात्रों के लिए **अनुसंधान सुविधाएं** स्थापित की जानी चाहिए।
- कंपनी अधिनियम, 2013 की **धारा 8 के तहत कंपनियों की स्थापना** करने सहित **डीप-टेक स्टार्ट-अप्स का अधिक समर्थन** करने की भी आवश्यकता है।

अन्य सुर्ख़ियां

मधुमक्खियां

हालिया अध्ययनों से पता चला है कि **माइक्रोप्लास्टिक प्रदूषण मधुमक्खियों और भौंरों जैसे परागणकों की क्षमताओं को प्रभावित** कर सकता है। इससे उनके **आहार खोजने और परागण करने की क्षमता में बाधा** उत्पन्न होती है।

मधुमक्खियों के बारे में

- **प्राप्ति क्षेत्र:** जंगली मधुमक्खियां **अंटार्कटिका** को छोड़कर हर महाद्वीप पर पाई जाती हैं।
- **विशेषताएँ:**
  - केवल मादा मधुमक्खियों के पास **डंक होता है। यह डंक वास्तव में अंडे देने वाले अंग (ओवीपोजिटर) से विकसित** होता है।
- ये केवल **फूलों से मिलने वाले मीठे मकरंद (nectar) और प्रोटीन युक्त परागकण (pollen) पर निर्भर** होती हैं।
- मधुमक्खियां **फूलों वाले लगभग 80% पौधों का परागण** करती हैं।

जोजिला दर्रा

जोजिला दर्रा अब पर्यटकों के लिए खोल दिया गया है। अब **जोजिला दर्रा घूमने के लिए कोई पूर्व अनुमति या अनापत्ति प्रमाण-पत्र (NOC) की आवश्यकता नहीं** है।

जोजिला दर्रे के बारे में

- **ऊँचाई:** यह समुद्र तल से लगभग 3528 मीटर (11,649 फीट) **ऊंचाई** पर स्थित है।
- यह **लद्दाख और कश्मीर के बीच एक महत्वपूर्ण संपर्क मार्ग** है। यह **कश्मीर घाटी को द्रास घाटी से अलग** करता है।
- यह दर्रा **श्रीनगर और लेह को जोड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग-1 (NH-1)** पर स्थित है। यह **फोतु ला के बाद दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा** माना जाता है।
- वर्ष 2018 में **जोजिला टनल परियोजना** की शुरुआत की गई थी।
  - निर्माण पूरा होने पर, यह एशिया की सबसे लंबी द्विदिश (bi-directional) सुरंग होगी, यानी एक ही समय में आने-जाने, दोनों की सुविधा उपलब्ध होगी।

"औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025"

सरकार ने **"औषधि और प्रसाधन सामग्री (अपराधों का शमन) नियम, 2025"** को अधिसूचित किया।

नियमों के मुख्य बिंदुओं पर एक नजर

- **उद्देश्य: औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम** से जुड़े छोटे अपराधों के लिए सजा को कम करना, यानी **कानूनी कार्यवाही की बजाय जुर्माना लगाकर निपटारा** करना।
- **ये नियम निम्नलिखित पर लागू होंगे:**
  - फार्मास्यूटिकल कंपनियों पर, और
  - अधिनियम के अंतर्गत उत्पादन, आयात, बिक्री, वितरण या संबंधित गतिविधियों में शामिल किसी भी व्यक्ति पर।
- **सजा कम करने की पात्रता:** अधिनियम के तहत केवल प्रथम अपराध पर ही सजा में कमी की जा सकती है, यानी अपराध दोहराने पर अधिनियम के तहत व्यक्ति को सख्त सजा मिल सकती है ।

टिड्डियां (Locust)

एक नए अध्ययन के अनुसार, टिड्डियों की गतिविधियां उनके **आस-पास की गतिविधियों पर आधारित संज्ञानात्मक निर्णय प्रक्रिया** पर निर्भर होती हैं।

टिड्डियों (Locusts) के बारे में

- टिड्डियां **छोटे सींगों वाली ग्रासहॉपर** होती हैं। ये हमेशा **एक जगह से दूसरी जगह प्रवास** करती रहती हैं।
- साथ ही, ये **आसपास के परिवेश के अनुरूप अलग-अलग व्यवहार** भी प्रदर्शित करती हैं। इनमें **बार-बार अधिक आहार ग्रहण करने की प्रवृत्ति** पाई जाती है।
- ये **झुंड (वयस्कों का समूह) और हॉपर बैंड (निम्फों का समूह)** बना सकती हैं।
- ये **प्राकृतिक वनस्पति और फसलों को भारी नुकसान** पहुंचाती हैं।
- **भारत में केवल चार प्रकार की टिड्डियां पाई जाती हैं। ये हैं:**
  - डेजर्ट टिड्डी (स्किस्टोसेरका ग्रेगेरिया);
  - प्रवासी टिड्डी (लोकस्टा माइग्रेटोरिया);
  - बॉम्बे टिड्डी (नोमैडैक्रिस सक्सिन्टा); तथा
  - ट्री टिड्डी (एनाक्रिडियम प्रजाति) हैं।

वर्षा का 'दीर्घावधि औसत' (Long-period average: LPA)

भारतीय मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने जून से सितंबर माह के दक्षिण-पश्चिम मानसून के दौरान **'सामान्य से अधिक' (Above normal) वर्षा का पूर्वानुमान** लगाया है। IMD के अनुसार जून से सितंबर के बीच **दीर्घावधि औसत (LPA) का 105%** वर्षा होगी।

- **1971-2020 की अवधि के लिए पूरे देश में दक्षिण-पश्चिम मानसून वर्षा** का वर्तमान LPA 87 से.मी. है।

दीर्घावधि औसत (LPA) के बारे में

- **परिभाषा:** यह **किसी विशेष क्षेत्र में निश्चित समयावधि में दर्ज की गई औसत वर्षा की मात्रा** को दर्शाता है।
- **समयावधि:** आमतौर पर पिछले **30 वर्षों के वर्षा की मात्रा के आंकड़ों के आधार पर गणना** की जाती है।
- **उद्देश्य:** LPA का उपयोग वर्तमान या भविष्य में वर्षा की मात्रा से तुलना हेतु किया जाता है, ताकि यह जाना जा सके कि वर्षा **सामान्य, सामान्य से अधिक या कम** हुई है।
- **अलग क्षेत्रों में अलग-अलग LPA:**
  - **उत्तर-पश्चिम भारत जैसे शुष्क क्षेत्रों के लिए LPA लगभग 61 सेंटीमीटर है।**
  - **जबकि पूर्व और पूर्वोत्तर भारत जैसे अधिक वर्षा वाले क्षेत्रों के लिए यह LPA 143 सेंटीमीटर से अधिक** हो सकता है।

रिस्क सोसाइटी

यह समाजशास्त्री **उलरिच बेक** द्वारा उनकी पुस्तक **'रिस्क सोसाइटी: टुवर्ड्स ए न्यू मॉडर्निटी'** में दी गई अवधारणा है।

रिस्क सोसाइटी के बारे में

- **परिभाषा:** रिस्क सोसाइटी एक **औद्योगिक समाज से एक ऐसे समाज में बदलाव का वर्णन करती है, जो तकनीकी और पर्यावरणीय विकास द्वारा उत्पन्न अनिश्चितता एवं खतरों से तेजी से प्रभावित** होती है।
  - उदाहरण के लिए- परमाणु प्रौद्योगिकी और आपदाओं के संबंधित जोखिम।
- इस तरह के समाज में **धन के वितरण की बजाय जोखिमों की रोकथाम और प्रबंधन** पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है।
- **लैंगिक आयाम:** एक रिस्क सोसाइटी में, विशेष रूप से विकासशील देशों में **महिलाओं की संसाधनों, निर्णय लेने की स्वतंत्रता और स्वास्थ्य सेवा तक असमान पहुंच के कारण उन्हें अधिक जोखिम का सामना** करना पड़ता है।

प्रोजेक्ट कुइपर

अमेजन ने अपने प्रोजेक्ट कुइपर के तहत **पहले 27 उपग्रहों को अंतरिक्ष-आधारित इंटरनेट नेटवर्क की शुरुआत** के लिए लॉन्च किया।

प्रोजेक्ट कुइपर के बारे में

- यह अमेजन का **निम्न भू कक्षा (LEO) सैटेलाइट ब्रॉडबैंड नेटवर्क** है।
  - पृथ्वी की सतह से **2,000 किलोमीटर** ऊपर तक विस्तारित अंतरिक्ष का क्षेत्र LEO कहलाता है।
- **इसमें शामिल हैं:** भूमि पर अवसंरचना, लगभग **3,232 सैटेलाइट्स** का समूह और ग्राहक टर्मिनल।
- **उद्देश्य:** दुनिया के **दुर्गम और पिछड़े इलाकों** में रहने वाले लोगों को **हाई-स्पीड, कम विलंबता वाला और सस्ती दर पर इंटरनेट** प्रदान करना।
- इसका नाम **कुइपर बेल्ट** के नाम पर रखा गया है, जो 8 प्रमुख ग्रहों से परे सौर मंडल का एक क्षेत्र है।
- **इसी तरह के प्रोजेक्ट्स:** स्पेसएक्स स्टारलिंक आदि।

गोलकोंडा ब्लू डायमंड

गोलकोंडा ब्लू डायमंड एक **23.24 कैरेट** का फैंसी विविड ब्लू डायमंड था, जिसे **जिनेवा** में नीलामी के लिए निर्धारित किया गया था।

गोलकोंडा ब्लू डायमंड के बारे में

- यह हीरा ऐतिहासिक रूप से **इंदौर के महाराजा यशवंत राव होलकर** का था।
- **उत्पत्ति:** संभवतः **गोलकोंडा क्षेत्र** से, जो अपनी हीरे की खदानों के लिए जाना जाता है।
  - गोलकोंडा के प्रसिद्ध हीरों में **कोह-ए-नूर, दरिया-ए-नूर और आर्चड्यूक जोसेफ हीरे** शामिल हैं।
- **यूरोपीय यात्रियों के वृतांत**
  - **जीन-बैप्टिस्ट टैवर्नियर (1605-89)** ने हीरों के व्यापार में तेजी और राजसी एकाधिकार का उल्लेख किया है।
  - **अन्य:**
    - **जीन डे थेवेनोट (1633-77)** ने उल्लेख किया है कि हीरों की कीमतों में कोई समानता नहीं थी;
    - **मार्को पोलो (1292):** उच्च गुणवत्ता वाले हीरों पर भारत के एकाधिकार की प्रशंसा की है।

सुर्ख़ियों में रहे व्यक्तित्व

जगद्गुरु बसवेश्वर

प्रधान मंत्री ने **बसव जयंती के अवसर पर जगद्गुरु बसवेश्वर को श्रद्धांजलि** अर्पित की।

जगद्गुरु बसवेश्वर के बारे में

- वे **12वीं सदी के महान दार्शनिक, कवि और नीति-उपदेशक** थे। उनका जन्म **1131 ई. में कर्नाटक के बागेवाड़ी** में एक ब्राह्मण परिवार में हुआ था।
- वे **लिंगायत परंपरा के संस्थापक** माने जाते हैं।
- उन्होंने **'वचन'** नामक कविताओं के माध्यम से सामाजिक जागरूकता फैलाई थी।
- **सामाजिक योगदान**
  - उन्होंने **सामाजिक समानता** पर बल दिया था और **जातिगत भेदभाव** को खत्म करने की बात की थी।
  - **आध्यात्मिक जीवन में महिलाओं की भागीदारी** का समर्थन किया था।
  - **प्रमुख मान्यताएं: कायक** (कर्म ही पूजा है), **दासोह** (धन का समान वितरण) आदि।